न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बहजलास– डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –151/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/183

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
मुकेश बेडा पुत्र श्री श्रवणराम जाति जाट निवासी लोट का बास कठौती तहसील जायल जिला नागौर हाल निवासी 169, संजय कॉलोनी, नागौर तहसील व जिला नागौर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर 2. पटवारी हल्का नागौर जिला नागौर

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री सोहनलाल लटियाल।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: निर्णय :: दिनांक :– 22/08/2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 10/2022 बअनवान सरकार बनाम मुकेश बेड़ा में पारित दिनांक 21.03.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.05.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.03.2022 को जारी कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलांट को नही थी। दिनांक 08.03.2022 को अपीलांट पेशी पर उपस्थित था तथा अपना जवाब मय दस्तावेजात प्रस्तुत किया। तब अदालत मातहत ने कहा कि इसमे मौके पर जांच करेंगे व नाप चौप भी करवायेंगे, जिसकी जानकारी दे दी जायेगी, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर कोई जांच नही की तथा न ही अपीलांट को तारीख पेशी 21.03.2022 को होना बताया तथा बिना अपीलांट को सूचना दिये बिना सुनवाई किये अपने मनमाने तरीके से तारीख 21.03.2022 की पेशी दर्ज कर निर्णय जेर अपील आदेश पारित कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 09.05.2022 को मामला हाजा में जांच करने हेतु मौका पर आने एवं जानकारी करने के लिए। अधीनस्थ न्यायालय में गया तो बताया गया कि मामले में तो दिनांक 21.03.2022 को ही पत्रावली का निर्णय कर दिया गया हैं, तब अपीलांट ने उसी वक्त आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया, जिस पर नकल प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश जेर अपील की दिनांक 12.05.2022 को प्राप्त हुई। जिस पर अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर अविलम्ब दिनांक 13.05.2022 को यह अपील की जो जानकारी से अंदर मियाद होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट अंदर मियाद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से मयाद प्रार्थना पत्र मय अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र में विलम्ब के संबंध में किये गये कथनों के संबंध में स्वंय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मैरिट पर सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना उचित है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने धारा 91 का नोटिस दिया कि कृषि वर्ष 2078 के दौरान नागौर तहसील के ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 267 गैर मुमकिन तालाब क्षेत्रफल 2691 वर्गफुट पर अतिचार किया है। जबकि सही तथ्य यह है कि मुझ अपीलांट की चारदीवारी व लोन/पार्क पेड पौधे आदि नगरपालिका मण्डल नागौर द्वारा राजस्थान सरकार का सन 1975 में प्लॉन बनाया जाकर विकसित व नगरपालिका नागौर द्वारा सन 1984–85 में विक्रय की गई संजय कॉलोनी नागौर की आबादी भूमि खसरा नम्बर 255 में स्थित प्लोट नम्बर 169 में मेरे स्वामित्व की जायगा में बने हुए है। जिसका कुल एरिया 2691 वर्गफुट हैं। जिसमे नगरपालिका द्वारा भवन निर्माण स्वीकृती प्राप्त कर सन् 1990 में पूर्व स्वामी भागीरथराम पुत्र कंवराराम जाति जाट चौधरी को दिनांक 07.08.1985 को आवंटन व सुपूर्दगी आदेश जारी कर आवंटित किया, जिनके द्वारा नगरपालिका से स्वीकृती दिनांक 11.01.1991 को प्राप्त कर चारदीवारी का निर्माण करवाया हुआ था, जो क्षत विक्षत होने से पुनः निर्माण करवाया गया है तथा उक्त भूखण्ड को दिनांक 25.03.2019 को पूर्व स्वामी भागीरथराम पुत्र कंवराराम जाति जाट चौधरी द्वारा मुझ अप्रार्थी को विक्रय किया गया। जिस पर अप्रार्थी ने कब्जा प्राप्त कर चारदीवारी का पुनः निर्माण करवाया जाकर समतलीकरण कर लोन/ पार्क विकसित कर पेड पौधे लगाये गये तथा मुझ अप्रार्थी के ही कब्जे उपयोग उपभोग में है तथा मेरे भूखण्ड के पश्चिम में नगरपालिका का भूखण्ड संख्या 170 है तथा उसके दक्षिण–पश्चिम में नगरपालिका की 40 फुट की रोड है तथा उसके दक्षिण–पश्चिम में नगरपालिका का सार्वजनिक पार्क हैं, जिसमे सन् 1986–87 से पीएचईडी द्वारा खोदा गया हेण्ड पम्प हैं, जो पार्क की बनी हुई चारदीवारी के अंदर पश्चिम की तरफ है तथा पूर्व में सन 1989–90 में पटवारी हल्का लालसिंह व आरआई गंगाधर द्वारा मौके का माप किया गया था, तब यह बताया गया था कि हेण्ड पम्प पर खसरा नम्बर 267 का पूर्वी दक्षिणी छोर स्थित है, जो सेटलमेन्ट के राजस्व नक्शा शीट से भी स्पष्ट है। मौका पर बिना माप किये मनमाने तरीके से पटवारी ने गलत रिपोर्ट देकर अपीलांट के मकान को खसरा नम्बर 267 में गलत रूप से बताया जा रहा हैं, जो सरासर अन्याय है। अपीलांट का मकान खसरा नम्बर 267 में कतई नही है, असल नक्शा शीट से नक्शा ट्रेस कर मुकमिल पाइंट से नाप करवाया जावे। मुकमिल पाइंट जैन सरावगियो के श्मशान की भूमि खसरा नम्बर 270 के पश्चिम की तरफ प्राचीन दीवार सेटलमेन्ट के पहले से बनी हुई है तथा पूर्व में रेल्वे लाईन का पूर्वी छोर सेटलमेन्ट से पूर्व का स्थित है, जो मुकमिल बिन्दू दोनो तरफ शुरू की स्थिति में ही कायम है तथा दोनो के बीच संयुक्त रूप से माप आसानी से किया जा सकता है। जिस पर सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। अपीलांट मुकेश बेडा के वैधानिक सही स्वामित्व का प्लोट नम्बर 169 नगरपालिका मण्डल नागौर द्वारा विकसित व विक्रय की गई संजय कॉलोनी नागौर में स्थित है। नगरपालिका द्वारा भवन निर्माण स्वीकृती प्राप्त कर सन 1990 में पूर्व स्वामी भागीरथराम पुत्र कंवराराम जाति जाट चौधरी को दिनांक 07.08.1985 को आवंटन व सुपूर्दगी आदेश जारी कर आवंटित किया, जिनके द्वारा नगरपालिका से स्वीकृती दिनांक 11.01.1991 को प्राप्त कर चारदीवारी का निर्माण करवाया हुआ था, जो क्षत विक्षत होने से पुनः निर्माण करवाया गया है तथा उक्त भूखण्ड को दिनांक 25.03.2019 को पूर्व स्वामी भागीरथराम पुत्र कंवराराम जाति जाट चौधरी द्वारा मुझ अप्रार्थी को विक्रय किया गया। जिस पर अप्रार्थी ने कब्जा प्राप्त कर चारदीवारी का पुनः निर्माण करवाया जाकर समतलीकरण कर लोन/पार्क विकसित कर पेड पौधे लगाये गये तथा मुझ अप्रार्थी के ही कब्जे उपयोग उपभोग में है तथा मुकेश बेडा 2691 वर्गफुट भूभाग की वैधानिक स्वामी है। राजकीय भूमि पर किसी भी तरह से कोई अतिचार एक इंच भूमि पर भी नही किया गया है। नगरपालिका मण्डल नागौर द्वारा योजना बनाकर राज्य सरकार से राजस्व भूमि अपने कब्जे में लेकर नागौर रेल्वे लाईन के पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 255, 261, 266, 267 के भू भाग पर टाउन प्लानर द्वारा प्लान नक्शा बनाया गया, जो नगरपालिका नागौर, जिला प्रशासन नागौर व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया, तत्पश्चात नगरपालिका नागौर के हक में उक्त भूमि को आबादी में अलग अलग लोगो को भूखण्ड सन 1984–85 में विक्रय किये, तब से सम्पूर्ण कॉलोनी में आबादी वैधानिक रूप से बसी हुई है। नगरपालिका नागौर के स्वीकृत नक्शा अनुसार की संजय कॉलोनी का पार्क नगरपालिका नागौर द्वारा वाउण्ड्री बनाकर विकसित किया

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

गया, जिसमे राधाकृष्ण मंदिर भी बना हुआ हैं, पीएचईडी की पानी की टंकी बनी हुई है तथा प्राथमिक विद्यालय प्लान अनुसार सन 2000 में राज्य सरकार द्वारा बनाया गया, जहां वर्तमान में जिला प्रशासन व सीएमएचओ नागौर व नगर परिषद द्वारा स्वीकृत जनता क्लीनिक चल रहा है। इस प्रकार सम्पूर्ण कॉलोनी प्लॉन अनुसार बसी हुई विकसित हुई है। मौका पर संजय कॉलोनी प्लॉन की भूमि पर व आस पास कभी कोई तालाब नहीं रहा हैं तथा न है तथा न ही कोई अंगोर की भूमि है। फिर भी इन तथ्यो, परिस्थितियो, साक्ष्य, रेकर्ड व दस्तावेजो के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही हाजा में नगरपालिका नागौर द्वारा जारी दस्तावेजो में किसी खसरे का उल्लेख नही होने का उल्लेख नही होना, पूर्व राजस्व अधिकारियो द्वारा अनापति में भी खसरे का उल्लेख नही होने व गैरमुमकिन तालाब की भूमि होने व इस प्रकार उक्त भूमि को धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित मानकर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली वजुर्माना रूपये 9 का आदेश जेर अपील पारित कर दिया। आदेश दिनांक 21.03.2022 को जारी कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलांट को नही थी। दिनांक 08.03.2022 को अपीलांट पेशी पर उपस्थित था तथा अपना जवाब मय दस्तावेजात प्रस्तुत किया। तब अदालत मातहत ने कहा कि इसमे मौके पर जांच करेंगे व नाप चौप भी करवायेंगे, जिसकी जानकारी दे दी जायेगी, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर कोई जांच नही की तथा न ही अपीलांट को तारीख पेशी 21.03.2022 को होना बताया तथा बिना अपीलांट को सूचना दिये, बिना सुनवाई किये अपने मनमाने तरीके से तारीख 21.03.2022 की पेशी दर्ज कर निर्णय जेर अपील आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

निर्णय जेर अपील खिलाफ कानून तथ्यो व परिस्थितियों के विरूद्ध साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्ध तथा मौके की स्थिति के विरूद्ध होने व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखने से भी स्पष्ट है कि पटवारी रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर अपीलांट को अतिचारी बताने के लिए एक नक्शा बनाया गया है। उसमे भी न तो पडोस अंकित किये हैं, न किसी भी तरह का नाप चौप अंकित किया हैं तथा अपने मनमाने तरीके से लाईने खींचकर अपीलांट को अतिचारी दर्शित कर दिया तथा न ही पटवारी मौके पर गया, अगर पटवारी हल्का मौके पर जाता तो मौके की स्थिति पर अपीलांट के मकान के चारो तरफ नगरपालिका की विकसित व विक्रय की गई संजय कॉलोनी नागैर की पूरी आबादी सन 1984–85 से बसी हुई है, उसका ज्ञान होता व रिपोर्ट में मौके की सही स्थिति दर्शित होती। जिसका अपीलांट के जवाब में पूर्ण विवरण व दस्तावेज पेश किये हुए थे। जिनका विवरण भी अधीनस्थ न्यायालय ने नही दिया, न देखे। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जेर अपील न्यायालय के सामान्य सिद्धान्तो के व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध बिना जांच किये होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

मातहत न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यन्त ही जल्दी एवं हडबडी रखते हुए निर्णय पारित किया हैं क्योकि वर्तमान प्रकरण में न तो अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया व न ही अपीलांट के जवाब का आदेश जेर अपील में विवरण दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांट को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जेर अपील पारित किया हैं, जिससे भी आदेश जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

मातहत न्यायालय का निर्णय एक साइक्लो स्टाईल निर्णय हैं, यह निर्णय पूर्व में ही टाईप किया हुआ हैं, इसमे मात्र खाली स्थानों की पूर्ति के लिए नाम व खसरा नम्बर व जुर्माने का अंकन किया गया हैं, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्व में ही बेदखली का निर्णय पारित किया गया है तथा अपनी कार्यवाहियो के टारगेट की रिकार्ड में पूर्ति के लिए यह निर्णय जेर अपील के नाम पर खानापूर्ति की गई हैं, जो खारिज किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 21.03.2022 में अधीनस्थ न्यायालय ने लिखा है कि "केवल सीमा ज्ञान ही एक ऐसा आधार है कि उक्त व्यक्ति का कब्जा/अतिक्रमण गैर मुमकिन तालाब पर हैं अथवा नही, अतः पत्रावली निर्णय इस अनुसार की जाती है कि पटवारी हल्का

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

एक बार पुनः सीमा ज्ञान वक्त बेदखली की कार्यवाही कर ले एवं यदि कब्जा तालाब की भूमि पर है तो अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राजस्थान सरकार द्वारा दर्ज तालाब की भूमि पर लागू नही हैं, अतः बेदखल कर दिया जावे।" इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के सामने अपीलांट का अतिक्रमण हैं या नहीं, इस संबंध में कोई भी स्पष्ट रिपोर्ट नही थी तथा जो पटवारी हल्का अपने चाहे तरीके से एक झुठी व गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दी, उसी को मानकर तथा उसे ही उसके संबंध में तय करने के लिए अधिकृत कर दिया। जो भी न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत है कि शिकायतकर्ता को ही जज बना दिया गया। जो कतई विधि सम्मत नही होने से आदेश जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है तथा आदेश जेर अपील अपने आप में निर्णय की तारीफ में भी स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना बताकर निर्णय जेर अपील पारित किया है। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट था कि अपीलांट को जिस भूमि पर अतिचारी बताया जा रहा हैं, उक्त भूमि नगर परिषद नागौर के कब्जे की भूमि है, जहां नगर परिषद नागौर ने जिला प्रशासन व टॉउन प्लॉनर व राज्य सरकार की सहमति से उक्त भूमि पर नगर परिषद नागौर ने कब्जा प्राप्त कर अलग–अलग लोगो को भूमि विक्रय कर प्लॉन अनुसार अलग–अलग लोगो को स्वीकृती दी गई व प्लॉन अनुसार ही लोगो ने मकान बनाये तथा वैधानिक लीज डीडधारी लोगो ने अपने भवन बनाये, जिससे अपीलांट किसी भी प्रकार से अतिचारी की तारीफ में नही आता। अगर उक्त भूमि किसी कारण से आज भी राजकीय भूमि दर्ज रह जाने में अपीलांट की कोई गलती नही है। राज्य कर्मचारियो की गलती, सजा अपीलांट को किसी भी तरीके से नही दी जा सकती, जिससे भी धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत मामला किसी भी तरीके से नही बनाया जा सकता। जिससे निर्णय जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट के मौका कमीशनर नियुक्त करने का आवेदन पर न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 12.07.2022 मौजा नागौर के कस्बा खसरा नम्बर 267 का मुस्तकिल प्वांईट से सीमाज्ञान कर सम्पूर्ण नाप–चौक कर मौका रिपोर्ट मय नक्शा मौका एवं मौके के फोटोग्राफ के भिजवाने का तहसीलदार नागौर को आदेश दिया गया था। उक्त संबंध में तहसीलदार नागौर ने अपने पत्रांक–822 दिनांक 13.03.2023 से कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 265, 266 व 267 की सीमाज्ञान रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के भिजवाई है, जिसमे फर्द सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 12.03.2023 के अनुसार अपीलान्ट का भूखण्ड कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 255 गै.मु. आबादी में आना बताया है। पूर्व फर्द मौका एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.11.2022 के अनुसार भी प्लॉट संख्या 169 जो अपीलान्ट का है, वह खसरा नम्बर 255 का भाग होना बताया है। उक्त रिपोर्टों के अनुसार अपीलान्ट का खसरा नम्बर 267 पर कोई अतिक्रमण नहीं होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रकरण संख्या 10/2022 बअनवान सरकार बनाम मुकेश में आदेश दिनांक 21.03.2022 को खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया की न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 21.03.2022 से अपीलान्ट को कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 267 रकबा 2691 वर्गफीट किस्म गै.मु. तालाब भूमि पर किये गये अतिक्रमण से बेदखली का आदेश पारित किया है। तहसीलदार नागौर द्वारा पारित किया गया आदेश सही हैं,इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 267 रकबा 2691वर्गफीट भूमि किस्म गै.मु. तालाब भूमि (जिसे आगे विवादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है) पर अपीलान्ट द्वारा पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण की पटवारी नागौर द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक नागौर से सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब

कलक्टर नागौर

प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर ने निर्णय जैर अपील दिनांक 21.03.2022 को पारित किया है, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

हस्तगत प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में मौका कमीशनर नियुक्त करने का आवेदन प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 12.07.2022 मौजा नागौर के कस्बा खसरा नम्बर 267 का मुस्तकिल प्वांईट से सीमाज्ञान कर सम्पूर्ण नाप–चौक कर मौका रिपोर्ट मय नक्शा मौका एवं मौके के फोटोग्राफ के भिजवाने का तहसीलदार नागौर को आदेश दिया गया था। उक्त संबंध में तहसीलदार नागौर ने अपने पत्रांक–822 दिनांक 13.03.2023 से कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 265, 266 व 267 की सीमाज्ञान रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के भिजवाई है, जिसमे फर्द सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 12.03.2023 के अनुसार अपीलान्ट का भूखण्ड कस्बा नागौर के खसरा नम्बर 255 गै.मु. आबादी में आना बताया है। पूर्व की फर्द मौका एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.11.2022 के अनुसार भी प्लॉट संख्या 169 जो अपीलान्ट का है, वह खसरा नम्बर 255 का भाग होना बताया है। तहसीलदार नागौर द्वारा न्यायालय हाजा को प्रेषित उक्त रिपोर्टों के अनुसार अपीलान्ट का कस्बा नागौर खसरा नम्बर 267 किस्म गै.मु. तालाब पर अतिक्रमण नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को स्थिर रखा जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 21.03.2022 को अपास्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नागौर को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर